Short notes on
IT Rules Amendment 2026.

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 20 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य एआई-जनित सामग्री (Deepfakes) और ऑनलाइन दुष्प्रचार पर लगाम लगाना है।
यहाँ 2026 के नए आईटी नियमों के मुख्य बिंदुओं की आसान हिंदी में व्याख्या दी गई है:
1. 3-घंटे का टेकडाउन नियम (3-Hour Takedown Rule)
यह इन नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए 24 से 36 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब:
 * अवैध सामग्री: सरकार या अदालत द्वारा अवैध घोषित की गई सामग्री को केवल 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।
 * डीपफेक और अश्लील सामग्री: किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली गैर-सहमति वाली कृत्रिम सामग्री (Deepfakes) या अश्लील तस्वीरों को शिकायत मिलने के 2 घंटे के भीतर हटाना होगा।

2. AI कंटेंट की लेबलिंग (Mandatory Labelling)

* पहचान: अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे एआई द्वारा बनाई गई किसी भी फोटो, वीडियो या ऑडियो (जिसे SGI - Synthetically Generated Information कहा गया है) पर स्पष्ट रूप से 'AI-Generated' का लेबल या वॉटरमार्क लगाएं।

* डिस्क्लोजर: कंटेंट अपलोड करते समय उपयोगकर्ताओं को भी यह बताना होगा कि क्या वह सामग्री एआई द्वारा बनाई गई है।

3. मध्यस्थों (Intermediaries) की जवाबदेही

* यदि कोई प्लेटफॉर्म (जैसे Facebook, X, या WhatsApp) जानबूझकर भ्रामक एआई सामग्री को बढ़ावा देता है या उसे समय पर नहीं हटाता, तो वह अपनी 'Safe Harbour' सुरक्षा खो सकता है। इसका मतलब है कि उस प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

* कंपनियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए और अधिक पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था (Grievance Redressal) बनानी होगी।

4. राज्य सरकारों को अधिक शक्ति

* नए संशोधनों के तहत अब राज्य सरकारें कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने के लिए एक से अधिक अधिकृत अधिकारियों (Multiple Authorised Officers) को नामित कर सकती हैं, जिससे बड़े राज्यों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

5. अपवाद (Exclusions)

* सामान्य एडिटिंग टूल्स जैसे कि स्मार्टफोन में फोटो को बेहतर बनाने (Touch-ups) या रूटीन एडिटिंग को इन सख्त नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मुख्य निशाना केवल वही सामग्री है जो भ्रम पैदा करने या नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई गई हो।

यह संशोधन डिजिटल दुनिया में 'इन्फोडेमिक' और भ्रामक जानकारी से निपटने की दिशा में भारत का अब तक का सबसे सख्त कदम माना जा रहा है।